राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत बाघाना
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– ग्राम पंचायत बाघाना

प्रकरण सं. – 34/2014 प्रा.प्र.

निर्णय दिनांक – 22 जून, 2015

1. श्री घीसा पिता नंगा जाति बलाई निवासी चेता तहसील भीम
2. श्री पन्नाराम पिता नंगा जाति बलाई निवासी चेता तहसील भीम
3. श्री केसुराम पुत्र नंगा जाति बलाई निवासी चेता तहसील भीम
4. श्री लालुराम पुत्र नंगा जाति बलाई निवासी चेता तहसील भीम
5. श्री प्रताप पिता नंगा जाति बलाई निवासी चेता तहसील भीम

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री नारायणसिंह पिता प्रेमसिंह जाति रावत निवासी चेता चरेडो का बाडिया तहसील भीम
2. श्री नारू पुत्र रामा जी जाति बलाई निवासी चेता चरेडो का बाडिया तहसील भीम
3. श्री दूदसिंह पिता पन्नासिंह निवासी चेता चरेडो का बाडिया तहसील भीम

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. लेण्ड रेवेन्यु एक्ट
वास्ते कराये जाने पक्की पत्थरगढी

यह कि ग्राम चेता पटवार हल्का बाघाना तहसील भीम मे निम्न वर्णित भूमि हम प्रार्थीगणो के खाते कब्जे मे चली आ रही है।

खसरा नं.	रकबा			किस्म
	बीघा	बिस्वा	बिस्वांसी	
1040/575	05	00	00	बारानी 2
1054/575	05	00	00	बारानी 2
कुल किता 02 रकबा 10 बीघा				

उक्त भूमि के पडौस निम्न प्रकार है:–

पूर्व में:– नाडी

पश्चिम में :– मगरा

उत्तर में:– अप्रार्थीगणो की जमीन है।

दक्षिण में:– रोड।

अप्रार्थीगणो को मौके पर अपनी जमीन की सीमा की जानकारी न होने से फसल बोते काटते समय तथा चारा काटते समय अक्सर वाद विवाद होता रहता है कई बार अप्रार्थीगणो को हमने व गांव वालो ने समझाया फिर भी नही माने अभी 20 दिन पूर्व में भी अंतिम बार कहने के उपरान्त भी नही माने उल्टा हमे ही कहा कि तुम जानकारी करवा पत्थरगढी करवा लों।

अतः वादी का वाद प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प बाघाना** में श्री लालूराम पुत्र नंगा बलाई निवासी बाघाना ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी घीसा पिता नंगा बलाई निवासी बाघाना की मृत्यु हो जाने से मृतक के वारिसान राजूराम, धन्नाराम पुत्र तथा अणछी पत्नि घीसा तथा अकली, तन्नु पुत्री घीसा बलाई है। जिन्हे मौके पर पक्षकार कायम मुकाम किये तथा वारिसान घोषित किये गये। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणो को बाद समझाईश आपसी राजीनामे से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वर्णित विवादित आराजियात का दोनो पक्षो की उपस्थिति में पत्थरगढी कराये जाने के आदेश दिये जाते है।
तहसीलदार भीम को लिखा जावे कि प्रार्थी से नियमानुसार शुल्क जमा करा उक्त विवादित भूमि की पत्थरगढी करा पालना से अवगत करावे। निर्णय आज दिनांक 22.06.2015 को कैम्प बाघाना में लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

Scanned by CamScanner